

मध्य प्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुजा०कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 4-25/2008/1/25,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 8/4/2008

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
भोपाल म०प्र०।

विषय-गैर शिक्षकीय कार्य में संलग्न/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ व्याख्याता एवं शिक्षकों का पुनर्व्यवस्थापन।

गैर शिक्षकीय कार्य में संलग्न/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ व्याख्याताओं एवं शिक्षकों के संबंध में विभागीय निर्णय लिया गया है कि कोई भी व्याख्याता / शिक्षक, शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त न तो कहीं संलग्न रहें और न ही गैर शैक्षणिक कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी व्याख्याता / शिक्षक अन्य स्थान, विभाग में, अथवा अन्य दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये हैं उन सब की संवायें 01 अप्रैल 2008 से हटाकर उन्हें शैक्षणिक कार्य में लगाया जाये।

प्राचार्यों को छोड़कर कोई भी व्याख्याता अथवा शिक्षक अन्य कहीं भी शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य करता पाया गया तो संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी की जबाबदेही होगी। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

(जे०एन०कांसोदिया)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुजा०कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 8/4/2008

AD P
Decision amland

पू० क्रमांक एफ 4-25/2008/1/25,
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, म०प्र०शासन आदिम जाति कल्याण विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास/संचालक आदिम जाति अनुसंधान संस्थान/ आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं म०प्र०भोपाल।
5. समस्त फलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
7. सभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल/ जबलपुर/ इन्दौर/ खालियर/ रीवा/ उज्जैन/ सागर।
8. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण मध्यप्रदेश।
10. श्रीमती मंजुलता राभव व्याख्याता कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर मध्यप्रदेश।
11. आर्डर बुक/स्थापना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अभ्युक्त
क्रमांक 535
दिनांक 11/4/08

प्रि.सं. 2

P.O.
21/4/08

AD-442
22/4/08

(जे०एन०कांसोदिया)
सचिव

आदिम जाति तथा अनुजा०कल्याण विभाग